

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/77/2023

रजू दिनांक: 12.06.2023

रजि0 न0 2023/530

अपीलार्थी:-

श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम, निवासी  
वार्ड नं0 3, मु0पो0 बनेठी, तहसील  
कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0  
जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर  
(राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 27.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो तो दिनांक 05.06.2023 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/865 दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.23 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 16.03.23 के माध्यम उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के पत्रांक 364 दिनांक 29.6.2022 के अनुसरण में इस कार्यालय के द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलक्टर अलवर को पत्रांक 619 दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है, किन्तु अब प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलक्टर अलवर के पत्रांक 9481 दिनांक 01.05.2023 के माध्यम से बिन्दुवार विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो अपीलार्थी भिजवाते हुए सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। सूचना उपलब्ध कराई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(पुखराज सेन)  
जिला कलक्टर अलवर (राज0)